न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी, पाली
पीठासीन अधिकारीः— श्री रोहिताश्व सिंह तोमर (आई.ए.एस.)

राजस्व वाद प्रकरण संख्या 28 / 2017

प्रार्थी / वादीः—
1. तहसीलदार (भुमिधारी), पाली

बनाम अप्रार्थी / प्रतिवादीगणः—
1. श्री मोहम्मद युनुस पुत्र श्री युसुफ अली
2. श्री अरसद अली पुत्र श्री युसुफ अली
3. श्री चान्द मोहम्मद पुत्र श्री युसुफ अली
4. श्री मोहम्मद रफीक पुत्र श्री युसुफ अली
5. श्री मोहम्मद सलीम पुत्र श्री युसुफ अली
6. रसीदा बानो पुत्री श्री युसुफ अली
7. सईदा बानों पुत्री श्री युसुफ अली
8. संजीदा बानों पुत्री श्री युसुफ अली
9. रफीक बानों बेवा श्री श्री युसुफ अली कौम सोरगर मुसलमान निवासी पाली

उपस्थितिः—
1. श्री केसरसिंह, तहसीलदार, पाली (सरकारी पैरोकार)
2. श्री मदन दास वैष्णव, विद्वान अभिभाषक प्रतिवादीगण

वाद अंतर्गत धारा 177 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम, 1955

प्रार्थना पत्र बाबत खारिज करने हाजा वाद श्रीमान के न्यायालय को सुनवाई का क्षैत्राधिकार नहीं होने से

—:निर्णयः— **दिनांक**

1. वकील प्रतिवादीगण द्वारा प्रार्थना पत्र बाबत खारिज करने हाजा वाद न्यायालय को सुनवाई का क्षैत्राधिकार नहीं होने से संबंधित प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी निस्बत वादी की ओर से विरूद्ध प्रतिवादीगण श्रीमान के न्यायालय मे वाद अंतर्गत धारा 177 आर.टी.एक्ट 1955 क तहत कानून की मंशा के खिलाफ पेश किया गया है जो कानूनन काबिल खारिज के है। चूंकि वादी द्वारा प्रस्तुत वाद मे वर्णित आराजी नगर विकास न्यास (यू.आई.टी.) के क्षेत्र मे स्थित है जिसकी सुनवाई हेतू श्रीमान के न्यायालय को क्षैत्राधिकार नहीं होकर श्रीमान नगर विकास न्यास (यू.आई.टी.) पाली को सुनवाई का क्षैत्राधिकार कानूनन प्राप्त है। ऐसी स्थिति मे वादी द्वारा वादग्रस्त आराजी निस्बत् राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 177 आर.टी.एक्ट 1955 के तहत कानून की मंशा के खिलाफ श्रीमान के न्यायालय मे विरूद्ध प्रतिवादीगण पेश किया गया है। जिस वाद मे श्रीमान के न्यायालय को सुनवाई का क्षैत्राधिकार नहीं होने से वादी द्वारा वादग्रस्त आराजी निस्बत् प्रस्तुत वाद की

Rahul
सहायक कलेक्टर
पाली

Scanned by CamScanner

कार्यवाही विरूद्ध प्रतिवादीगण ड्रोप फरमायी जाना कानूनन आवश्यक एवं लाजमी है। अतः प्रतिवादीगण की ओर से प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि वादी द्वारा प्रस्तुत वाद मे सुनवाई का क्षैत्राधिकार न्यायालय हाजा को नही होने से वादी द्वारा प्रस्तुत वाद मय खर्चा व हर्जा के खारिज फरमाया जावें।

2. उक्त प्रार्थना पत्र बहस उभयपक्ष की सुनी गई।

3. वकील अभिभाषक प्रतिवादीगण ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि सरहद पाली चक प्रथम पटवार मण्डल पाली प्रथम स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 773/12 कुल रकबा 14.10 बिघा किस्म बारानी अव्वल भूमि प्रतिवादीगण की खातेदारी राजस्व रेकर्ड मे दर्ज है। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद मे वर्णित आराजी नगर विकास न्यास (यू.आई.टी.) के क्षेत्र मे स्थित है जिसकी सुनवाई हेतू श्रीमान के न्यायालय को क्षैत्राधिकार नहीं होकर श्रीमान नगर विकास न्यास (यू.आई.टी.) पाली को सुनवाई का क्षैत्राधिकार कानूनन प्राप्त है। ऐसी स्थिति मे वादी द्वारा वादग्रस्त आराजी निस्बत् राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 177 आर.टी.एक्ट 1955 के तहत कानून की मंशा के खिलाफ श्रीमान के न्यायालय मे विरूद्ध प्रतिवादीगण पेश किया गया है। जिस वाद मे श्रीमान के न्यायालय को सुनवाई का क्षैत्राधिकार नहीं होने से वादी द्वारा वादग्रस्त आराजी निस्बत् प्रस्तुत वाद की कार्यवाही विरूद्ध प्रतिवादीगण ड्रोप फरमायी जाना कानूनन आवश्यक एवं लाजमी है। अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वाद मे सुनवाई का क्षैत्राधिकार न्यायालय हाजा को नही होने से वादी द्वारा प्रस्तुत वाद खारिज फरमाया जावें।

4. सरकारी पैरोकार तहसलीदार पाली ने बहस के द्वौरान निवेदन किया कि सरहद मौजा सरहद पाली चक प्रथम पटवार मण्डल पाली प्रथम स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 773/12 कुल रकबा 14.10 बिघा किस्म बारानी अव्वल भूमि अप्रार्थी के खातेदारी राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है। खसरा नम्बर 773/12 प्रतिवादीगण की खातेदारी कृषि भूमि है। जिसमे खसरा नम्बर 773/12 रकबा 1.12 बिघा किस्म बारानी अव्वल मे प्रतिवादीगण द्वारा भूमि पर मौके पर रेस्टोरेन्ट एवं गार्डन बनाकर उक्त भूमि को अकृषि उपयोग किया गया है। उक्त कृषि भूमि का कृषि से अकृषि में परिवर्तन होने के कारण मेरे द्वारा उक्त भुमि को धारा 177 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम 1955 के तहत खातेदारों के खातेदारी अधिकार निरस्त करने हेतु प्रस्तत किया गया था जो इस प्रकरण में मौजा सरहद पाली चक प्रथम पटवार मण्डल पाली प्रथम स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 773/12 कुल रकबा 14.10 बिघा किस्म बारानी अव्वल भूमि वर्तमान में पाली शहर की पैरी फैरी सीमा के अन्तर्गत वर्ष 2013 के नोटिफिकेशन के अनुसार आ चुके है। वर्ष 2013 में पाली शहर में नगर विकास न्यास भी स्थापित हो चुकी है ऐसी स्थिती में उक्त भूमियों पर कार्यवाही के सम्बन्ध में क्षेत्राधिकार नगर विकास न्यास, पाली का हो जाता है।

Rahul
सहायक कलेक्टर
पाली

Scanned by CamScanner

5. बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। मौजा सरहद पाली चक प्रथम पटवार मण्डल पाली प्रथम स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 773/12 कुल रकबा 14.10 बिघा किस्म बारानी अव्वल वर्ष 2013 के नोटिफिकेशन अनुसार पाली शहर में नगर विकास न्यास स्थापित हो चुकी है ऐसी स्थिती में उक्त भूमि पर कार्यवाही के सम्बन्ध में क्षेत्राधिकार नगर विकास न्यास पाली का हो जाता है। अतः इस संबंध मे इस न्यायालय द्वारा आगे कार्यवाही अपेक्षित नहीं रह जाती है। अतः क्षैत्राधिकार से बाहर हो जाने कारण अंतर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 खारीज किया जाकर नगर विकास न्यास,पाली को सूचित किया जावें।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर विद्वान अभिभाषक प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वादी का वाद अंतर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 इस न्यायालय के क्षैत्राधिकार के बाहर पाये जाने से तहसीलदार पाली का प्रार्थना पत्र/वाद खारिज किया जाता है। डिक्री पर्चा मुर्तिब हो। पत्रावली फैसल में शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावे।

निर्णय की प्रति पत्र के साथ सचिव, नगर विकास न्यास, पाली को सूचनार्थ/पालनार्थ प्रेषित की जावे।

Rohit
सहायक कलेक्टर
पाली

यह आदेश आज दिनांक 28.02.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Rohit
सहायक कलेक्टर
पाली

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2020.03.19 17:59:29 IST
Reason: SelfAttested
Location: